



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06072023-247120
CG-DL-E-06072023-247120

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2863]
No. 2863]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 6, 2023/आषाढ़ 15, 1945
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 6, 2023/ASHADHA 15, 1945

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2023

का.आ. 2988(अ).—ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) और धारा 17 के साथ पठित धारा 16 की उप-धाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अतः एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इस आदेश को पोटेबल वॉटर बॉटल्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 कहा जाएगा।

(2) यह प्रकाशन की तारीख से छः माह की अवधि के बाद प्रभावी होगा:

(3) बशर्ते कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के तहत यथा परिभाषित लघु उद्यमों के लिए यह आदेश अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नौ माह की अवधि के बाद प्रभावी होगा।

(4) बशर्ते कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के तहत यथा परिभाषित सूक्ष्म उद्यमों के लिए यह आदेश अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से बारह माह की अवधि के बाद प्रभावी होगा।

2. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग - (1) नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान उक्त तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित तदनुसूची भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो

(अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा:

(2) बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी निर्यात की जाने वाली स्वदेश में विनिर्मित वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा:

(3) बशर्ते इसके अलावा कि इस आदेश में से कुछ भी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के 'उद्यम पोर्टल' के तहत पंजीकृत उद्यमों द्वारा स्वदेशी रूप से विनिर्मित वस्तुओं अथवा सामान पर लागू नहीं होगा, जिसमें मूल लागत पर संयंत्र एवं मशीनरी अथवा उपकरण में निवेश पच्चीस लाख रूपए से अधिक नहीं है तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा यथा सत्यापित उत्पादन पिछले वित्तीय वर्ष में दो करोड़ रूपए से अधिक नहीं है, उसे इस आदेश के कार्यान्वयन से छूट दी जाएगी।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण – यह ब्यूरो तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

4. उल्लंघन के लिए पेनल्टी – इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

तालिका

वस्तु या सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)
पोटेबल वॉटर बॉटल्स	17803:2022	पोटेबल वॉटर बॉटल्स (तांबा, स्टेनलेस स्टील, एल्युमीनियम)

नोट : इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण, जैसा कि ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे।

[फा. सं. पी-14031/12/2023-सीआई]

संजीव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 5th July, 2023

S.O. 2988(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) This Order may be called the Potable Water Bottles (Quality Control) Order, 2023.

(2) It shall come into force with effect from six months from the date of publication of this notification:

(3) Provided that for Small Enterprises as defined under the Micro, Small, and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force with effect from nine months from the date of publication of this notification.

(4) Provided that for Micro Enterprises as defined under the Micro, Small, and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force with effect from twelve months from the date of publication of this notification.

2. **Compulsory use of Standard Mark** .— (1) Goods or articles specified in column (1) of the Table below shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

(2) Provided that nothing in this Order shall apply to goods or articles manufactured domestically for export:

(3) Provided further that nothing in this order shall apply to goods or articles manufactured domestically by an enterprise, registered under "Udyam portal" of the Ministry of Micro, Small, and Medium Enterprises, wherein the investment in plant and machinery or equipment at original cost does not exceed twenty five lakhs rupees and the turnover does not exceed two crores rupees for the previous financial year as certified by a Chartered Accountant shall be exempted from implementation of this order.

3. **Certification and enforcing authority** .—The Bureau shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in column (1) of the said Table.

4. **Penalty for contravention** .—Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

TABLE

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Potable water bottles	17803:2022	Potable Water Bottles (Copper, Stainless Steel, Aluminum)

Note : For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments issued thereof, as notified by the Bureau of Indian Standards from time to time, shall apply from the date of such notification.

[F. No. P-14031/12/2023-CI]

SANJIV, Jt. Secy.